

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 22 दिसम्बर 2016


विषय:- अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच093) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/यूपी/ 06/93/2016/एफसी/370, दिनांक 03-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1322/अलीगढ़-मुरादाबाद/7444/2014, दिनांक 21-12-2016 द्वारा संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 21-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,  
  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-2871(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सम्भल एवं मुरादाबाद।
- 3- परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,पी0आई0यू0, मुरादाबाद।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।